सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2019-2020)

21

सत्रहवीं लोक सभा

इक्कीसवां प्रतिवेदन

(समिति द्वारा अपने बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई)

(20 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली.
मार्च, 2020/ फाल्गुन. 1941 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(v)
प्रतिवेदन	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा अपने बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
परिशिष्ट	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा अपने बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	02
अनुबंध	समिति की 04.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	05

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना
(2019-2020)

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जाटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवारी - अपर निदेशक
4. श्री आर.के. चौधरी - अवर सचिव
5. श्री के.पी. कश्यप - सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति का यह इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जो समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है ।

2. समिति ने 04.03.2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। इस बैठक का कार्यवाही सारांश **परिशिष्ट** में दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे आखरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
मार्च ,2020
फाल्गुन ,1941 (शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति।
लोक सभा

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन उसके बाहरवें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान - रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश के संबंध में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई से संबंधित है जिसे 10.08.2017 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों / टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, बाहरवें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

3. समिति ने अपने बाहरवें प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के इन सभी 06 एम्स के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर सभा पटल पर रखने के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विफलता को इंगित किया था और सिफारिश की थी कि इन सभी 06 एम्स के दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

4. समिति इस बात की सराहना करती है कि सरकार ने उक्त प्रतिवेदनों में की गई समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं।

5. समिति ने देखा है कि छह एम्स में से, 04 एम्स यानी रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर और ऋषिकेश ने वर्ष 2017-2018 के लिए अपने दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर रखे और वर्ष 2017-18 के लिए 02 एम्स- भोपाल और पटना के दस्तावेज को 06 महीने की देरी के साथ सभा पटल पर रखा गया था। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के लिए एम्स, ऋषिकेश के दस्तावेज 1 महीने और 10 दिनों की देरी के साथ 10.02.2020 को सभा के पटल पर रखे गए हैं। हालांकि, अन्य 05 एम्स यानी रायपुर*, भुवनेश्वर*, जोधपुर*, भोपाल और पटना के दस्तावेज अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। सभी 06 एम्स के दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है। इसलिए समिति यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की सिफारिश करती है कि भविष्य में प्रत्येक संगठन के दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रखा जाए। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए क़दमों के बारे में उसे सूचित किया जाए ।

नई दिल्ली;
मार्च ,2020
फाल्गुन ,1941 (शक)

श्री श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति।

---

*वर्ष २०१८-१९ के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा ०२ महीने और १३ दिनों की देरी के साथ १३.०३.२०२० को सदन के पटल पर रखे गए हैं।

परिशिष्ट

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

समिति द्वारा अपने बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई -कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश

सिफारिश (पैरा सं. 16 से 18)

समिति ने समय समय पर इस बात पर बल दिया है कि किसी संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर साथ साथ रखे जाएं ताकि संसद सदस्यों को संगठन के कार्यों और क्रियाकलापों की संपूर्ण तस्वीर प्राप्त हो सके। तथापि, समिति को यह नोट करके निराश हुई है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में समिति की विशिष्ट सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहा है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में 7 से 19 माह का विलंब हुआ। समिति यह भी नोट करती है कि विलंब का मुख्य कारण यह था कि पांच संस्थानों की स्थापना नई हुई थी जिनमें समुचित अवसंरचना और जनशक्ति का अभाव था, हिंदी अनुवादकों की कमी थी लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में विलंब हुआ था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में अनुभव की भी कमी थी।

17. समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं के सभा पटल पर रखने से संबंधित कार्य पूरा हो चुका था और संस्था बोर्ड (आईबी) की स्वीकृति दिसंबर के अंत तक ले ली गई थी, परंतु आवश्यक दस्तावेज शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर नहीं रखे जा सके। साथ ही, वर्ष 2014-15 के दस्तावेजों को बजट सत्र 2016 में ढाई माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया। संस्थानों ने निकट भविष्य में दस्तावेजों को विहित समय के भीतर सभा पटल पर रखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने का आश्वासन दिया। समिति मंत्रालय/संस्थानों द्वारा वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को विहित समयावधि के भीतर सभा पटल पर रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करती है।

18. समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि किसी कारणवश, संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर विहित समयावधि में नहीं रखे जा सके तो 30 दिनों के भीतर यह कारण बताते हुए विवरण सभा पटल पर रखा जाए कि आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर विहित समयावधि के भीतर क्यों नहीं रखे जा सके, जैसाकि समिति ने अपने पूर्व के प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की थी।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2017-18 के लिए छह नए एम्स के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निम्नान्नुसार सभा पटल पर रखा गया है;

एम्स	वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि
भोपाल	12.07.2019	6 माह
भुवनेश्वर	13.02.2019	1 माह
जोधपुर	08.02.2019	1 माह
पटना	12.07.2019	6 माह
रायपुर	13.02.2019	1 माह
ऋषिकेश	04.01.2019	4 दिन

2. साथ ही, निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला विलंब विवरण लोक सभा में प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के समय प्रस्तुत किया गया।

3. इसके अलावा, वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध -I में संलग्न है। इसके अलावा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में कालानुक्रम अनुबंध- II में संलग्न है।

(ज़ेड -28016/2019-पी एम एस एस वाई -IV दिनांक 6 अगस्त, 2019)

अनुबंध

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-20) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, बुधवार, 04 मार्च, 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष 'इ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली केसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनिश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

X X X X X

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), नई दिल्ली;
(2) एसईजेड-फाल्टा, कोलकाता, एसईईपीजेड, मुंबई और नोयडा;
(3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), नई दिल्ली;
(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली;
(5) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ);
(7) पांच क्षेत्रीय सांस्कृति केन्द्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एसजेडसीसी), तंजावुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र(एससीजेडसीसी), नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनसीजेडसीसी), इलाहाबाद औरउत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर;

(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन आठ प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी), नई दिल्ली;
(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली;
(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी;
(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
(5) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली;

(6) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नई दिल्ली;
(7) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय (सीसीपीडी), नई दिल्ली;
(8) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी), नई दिल्ली;
(9) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके), नई दिल्ली;
(10) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय;
(11) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम;
(12) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली;
(13) एम्स (भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश);
(14) सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटीक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली; तथा
(15) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान (नाईपर), मोहाली।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन पंद्रह प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. समिति ने इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-16. X X X X X

<u>तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>